

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0 )

वाद सं0 : 1057 सन 2021

अनवान :-

1. दिनेश कुमार पुत्र रामस्वरूप जाति महाजन निवासी भादरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. संजय कुमार पुत्र रामस्वरूप जाति महाजन निवासी भादरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादीगण

I

बनाम

1. सुमित्रा पत्नी रामस्वरूप जाति महाजन निवासी भादरा तहसील भादरा ।
2. रामप्रताप पुत्र बनवारीलाल जाति महाजन निवासी भादरा तहसील भादरा।
3. रामधारी पुत्र बनवारीलाल जाति महाजन निवासी भादरा तहसील भादरा ।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी  
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 22.11.2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा चक 2 जीजीएम के खाता संख्या 91/90 की कुल 2.6940 हैक् में से वादीगण संख्या 1, 2 व प्रतिवादी संख्या 1 प्रत्येक 1/9 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2, 3 प्रत्येक 1/3 हिस्सा तथा रोही मौजा चक 2 जीजीएम के खाता संख्या 92/91 की कुल 7.9180 हैक् वादीगण संख्या 1, 2 व प्रतिवादी संख्या 1 तीनों बहिब तथा रोही मौजा चक 2 जीजीएम के खाता संख्या 88/87 की कुल 6.1730 हैक् भूमि प्रतिवादी संख्या 2 के नाम वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज हे।

वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम से दर्ज है जो एक ही परिवार के सदस्य है जिन्होंने भूमि काश्त की सुविधा का ध्यान में रखते हुए आपसी सहमति से परिवारिक समझौता किया जाकर वाद भूमि का बाहमी बटवारा कर लिया था और अपने बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है किन्तु वर्तमान राजस्व रिकार्ड में भूमि परिवारिक समझौता /बाहमी बटवारा के अनुसार दर्ज नहीं हे जिससे वादीगण के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादीगण अपने बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रशासन गांव के संग अभियान में प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाने के उपरान्त ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने निवेदन किया की वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम से दर्ज है जो एक ही परिवार के सदस्य है जिन्होंने भूमि काश्त की सुविधा का ध्यान में रखते हुए आपसी सहमति से परिवारिक समझौता किया जाकर वाद भूमि का बाहमी बटवारा कर लिया था और अपने बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं मजमें आम की सहमति/जानकारी के आधार पर वाद का निस्तारण फरमावे।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल/आपसी सहमति मजमे आम में होने के कारण अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं रही।

उपखण्ड अधिकारी  
नोहर

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान - वर्ष -2021 कैम्प कोर्ट में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रकरण में उभयपक्षों की सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल/सहमति पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है तथा अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायाधिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद न्यायाधिक दृष्टान्तों एवं आपसी सहमति /मजमे आम की सहमति /जानकारी के आधार पर वाद वादी डिक्री फरमाया जावे।

हमने उभयपक्षों को सुना पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 7 जेएसएन के खाता संख्या 63/106 की कुल 6.7420हैक एवं रोही मौजा 2 जेएसएन के खाता संख्या 63/98 की कुल 0.3290हैक मं से 1/3 हिस्सा यानी 0.109हैक व रोही मौजा चक 1 जेएसएन के खाता संख्या 106/198की कुल 6.5400हैक मं से 1/3 हिस्सा यानी 2.180हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

वादीगण का कथन है कि वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम से दर्ज है जो एक ही परिवार के सदस्य है जिन्होंने भूमि काश्त की सुविधा का ध्यान में रखते हुए आपसी सहमति से परिवारिक समझौता किया जाकर वाद भूमि का बाहमी बटवारा कर लिया था और अपने बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है उसी के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है वादीगण के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसीप्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में इकबाल भी पेश किया जा चुका है जो शामिल मिसल है


वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चरपा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा 2 जीजीएम तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2070-2073 के खाता संख्या 91/90 के खसरे 21 का कुल क्षेत्रफल 2.6940 है0 भूमि में से वादीगण संख्या 1 ता 2 व प्रतिवादीया संख्या 1 प्रत्येक के 1/9 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 प्रत्येक के 1/3 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा व 2 जीजीएम के खाता संख्या 92/91 के कुल खसरे 40 का कुल क्षेत्रफल 7.9180 है0 भूमि वादीगण संख्या 1 ता 2 व प्रतिवादीया संख्या 1 तीनों के ब0 हि0 ब0 दर्ज है तथा तथा 2 जीजीएम के खाता संख्या 88/87 के कुल खसरे 31 का कुल क्षेत्रफल 6.1730 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है खाता संख्या 91/90 व 92/91 में से प्रतिवादीया संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर उक्त भूमि इस प्रकार से घोषणा की जाती कि प0 नं0 416/457 (84) के किला नं. 4 की 0.215 है0, 7 की 0.253 है0, 8 की 0.152 है0, 12 की 0.1010 है0, 13 ता 18 प्रत्येक की 0.253 है0, 19 की 0.215 है0, 21 की 0.152 है0, 22 मिन दक्षिण की 0.0252 है0, 25 की 0.253 है0 कुल 2.8842 है0 प0 नं0 418/458 (91) के किला नं. 1/2 की 0.0260 है0, 2/2 की 0.0250 है0, 3/1 की 0.025 है0, 4/1 की 0.025 है0, 5/2 की 0.025 है0, 16 ता 25 प्रत्येक की 0.253 है0 कुल 2.656 है0 व प0 नं0 418/459 (96) किला नं. 1 की 0.1140 है0, 2 की 0.202 है0, 3 ता 6 प्रत्येक की 0.253 है0 की 0.164 है0, 8 की 0.089 है0, 15 की 0.063 है0 कुल 1.644 है0 व प0 नं0 416/458 (93) के किला नं. 4/1 की मिन उत्तरी 0.0378 है0, 5/1 की 0.227 है0, 5/2 की 0.026 है0, कुल 0.2908 है0 व प0 नं0 417/456 (73) के किला नं. 10 की मिन दक्षिण 0.0504 है0, 11 की मिन दक्षिण 0.1008 है0, 16/1 की मिन पूर्व 0.114 है0, 16/2 मिन पूर्वी गै0 मु0 खाला 0.0125 है, 17 की मिन पूर्व 0.1265 है0 18 की मिन पूर्व 0.1265 है0 19 की मिन पूर्व 0.1265 है0 20 की मिन पूर्व 0.1897 है0, 21 की 0.253 है0, 22 की 0.253 है0, 23/2 की 0.240 है0, 24/2 की 0.240 है0, 25/1 की 0.228 है0 25/3 0.013 है0 गै0 मु0 खाला कुल भूमि 9.5489 है0 भूमि का वादीगण संख्या 1 ता 2 को ब0 हि0 ब0 का बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावे तथा प0 नं0 416/457 (84) के किला नं. 22 की मिन उत्तर 0.2278 है0, 23 की 0.253 है0, 24 की 0.253 है0, कुल 0.7338 है0 व प0 नं0 416/458 (93) के किला नं. 1/1 0.227 है0,

उपस्यण्ड अधिकारी  
नोहर

1/2 की 0.026 है, 2/1 की 0.228 है, 2/2 की 0.025 है गै 0 मु 0 रास्ता, 3/1 की 0.228 है, 3/2 की 0.025 है गै 0 मु 0 रास्ता, 4/1 की मिन दक्षिण 0.1902 है, 4/2 की 0.025 है गै 0 मु 0 रास्ता, 6 ता 8 की 0.759 है, 9 की 0.139 है, 10 की 0.063 है, 13 की 0.013 है, 14 की 0.114 है, 15 की 0.202 है कुल 2.2642 है व प 0 नं 417/455 (66) के किला नं. 23 की 0.253 है कुल 0.253 है व प 0 नं 417/456 (73) के किला नं. 1 की 0.025 है, 2 की 0.215 है, 3 की 0.253 है, 4 की 0.253 है, 5/1 की 0.228 है, 5/2 की 0.025 है गै 0 मु 0 खाला, 7 ता 9 की 0.759 है कुल 1.758 है कुल तादादी 5.009 है भूमि प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज की जावे तथा प 0 नं 415/458 (94) के किला नं. 3 की 0.025 है, 4 की 0.076 है, 5 की 0.038 है कुल 0.1390 है व प 0 नं 417/456 (73) के किला नं. 6/1 की 0.228 है, 6/2 की 0.025 है गै 0 मु 0 खाला, 10 की मिन उत्तर 0.1016 है, 11 की मिन उत्तर 0.1522 है, 12 ता 14 प्रत्येक की 0.253 है, 15/1 की 0.227 है, 15/2 की 0.026 है गै 0 मु 0 खाला, 16/1 की मिन पश्चिम 0.114 है, 16/2 की मिन पश्चिम 0.0125 है, 17 मिन पश्चिम की 0.1265 है, 18 की मिन पश्चिम 0.1265 है, 19 की मिन पश्चिम 0.1265 है 20 की मिन पश्चिम 0.0633 है कुल 2.2271 है भूमि का प्रतिवादी संख्या 3 को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाबता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 22.11.2021 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021 मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

  
उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )  
मोहर ( हनुमानगढ़ )  
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष- 2021  
कैम्प कोर्ट... ललानबास दिखनादा.

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021

पर्चा डिक्री

( आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी )

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. दिनेश कुमार पुत्र रामस्वरूप जाति महाजन निवासी भादरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. संजय कुमार पुत्र रामस्वरूप जाति महाजन निवासी भादरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादीग

ण

बनाम

1. सुमित्रा पत्नी रामस्वरूप जाति महाजन निवासी भादरा तहसील भादरा।
2. रामप्रताप पुत्र बनवारीलाल जाति महाजन निवासी भादरा तहसील भादरा।
3. रामधारी पुत्र बनवारीलाल जाति महाजन निवासी भादरा तहसील भादरा।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 1057 सन 2021 निर्णय दिनांक- 22.11.2021


आज यह वाद प्रशासन गांव कं संग अभियान वर्ष - 2021 कैम्प कोर्ट में मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व ) नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 2 जीजीएम तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2070-2073 के खाता संख्या 91/90 के खसरे 21 का कुल क्षेत्रफल 2.6940 है0 भूमि में से वादीगण संख्या 1 ता 2 व प्रतिवादीया संख्या 1 प्रत्येक के 1/9 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 प्रत्येक के 1/3 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा व 2 जीजीएम के खाता संख्या 92/91 के कुल खसरे 40 का कुल क्षेत्रफल 7.9180 है0 भूमि वादीगण संख्या 1 ता 2 व प्रतिवादीया संख्या 1 तीनों के ब0 हि0 ब0 दर्ज है तथा तथा 2 जीजीएम के खाता संख्या 88/87 के कुल खसरे 31 का कुल क्षेत्रफल 6.1730 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है खाता संख्या 91/90 व 92/91 में से प्रतिवादीया संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर उक्त भूमि इस प्रकार से घोषणा की जाती कि प0 नं0 416/457 (84) के किला नं. 4 की 0.215 है0, 7 की 0.253 है0, 8 की 0.152 है0, 12 की 0.1010 है0, 13 ता 18 प्रत्येक की 0.253 है0, 19 की 0.215 है0, 21 की 0.152 है0, 22 मिन दक्षिण की 0.0252 है0, 25 की 0.253 है0 कुल 2.8842 है0 प0 नं0 418/458 (91) के किला नं. 1/2 की 0.0260 है0, 2/2 की 0.0250 है0, 3/1 की 0.025 है0, 4/1 की 0.025 है0, 5/2 की 0.025 है0, 16 ता 25 प्रत्येक की 0.253 है0 कुल 2.656 है0 व प0 नं0 418/459 (96) किला नं. 1 की 0.1140 है0, 2 की 0.202 है0, 3 ता 6 प्रत्येक की 0.253 है0 की 0.164 है0, 8 की 0.0.89 है0, 15 की 0.063 है0 कुल 1.644 है0 व प0 नं0 416/458 (93) के किला नं. 4/1 की मिन उत्तरी 0.0378 है0, 5/1 की 0.227 है0, 5/2 की 0.026 है0, कुल 0.2908 है0 व प0 नं0 417/456 (73) के किला नं. 10 की मिन दक्षिण 0.0504 है0, 11 की मिन दक्षिण 0.1008 है0, 16/1 की मिन पूर्व 0.114 है0, 16/2 मिन पूर्वी गै0 मु0 खाला 0.0125 है, 17 की मिन पूर्व 0.1265 है0 18 की मिन पूर्व 0.1265 है0 19 की मिन पूर्व 0.1265 है0 20 की मिन पूर्व 0.1897 है0, 21 की 0.253 है0, 22 की 0.253 है0, 23/2 की 0.240 है0, 24/2 की 0.240 है0, 25/1 की 0.228 है0 25/3 0.013 है0 गै0 मु0 खाला कुल भूमि 9.5489 है0 भूमि का वादीगण संख्या 1 ता 2 को ब0 हि0 ब0 का बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावे तथा प0 नं0 416/457 (84) के किला नं. 22 की मिन उत्तर 0.2278 है0, 23 की 0.253 है0, 24 की 0.253 है0, कुल 0.7338 है0 व प0 नं0

20

उपखण्ड अधिकारी  
नोहर

416/458 (93) के किला नं. 1/1 0.227 है, 1/2 की 0.026 है, 2/1 की 0.228 है, 2/2 की 0.025 है गै0 मु0 रास्ता, 3/1 की 0.228 है, 3/2 की 0.025 है गै0 मु0 रास्ता, 4/1 की मिन दक्षिण 0.1902 है, 4/2 की 0.025 है गै0 मु0 रास्ता, 6 ता 8 की 0.759 है, 9 की 0.139 है, 10 की 0.063 है, 13 की 0.013 है, 14 की 0.114 है, 15 की 0.202 है कुल 2.2642 है व प0 नं0 417/455 (66) के किला नं. 23 की 0.253 है कुल 0.253 है व प0 नं0 417/456 (73) के किला नं. 1 की 0.025 है, 2 की 0.215 है, 3 की 0.253 है, 4 की 0.253 है, 5/1 की 0.228 है, 5/2 की 0.025 है गै0 मु0 खाला, 7 ता 9 की 0.759 है कुल 1.758 है कुल तादादी 5.009 है भूमि प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज की जावे तथा प0 नं0 415/458 (94) के किला नं. 3 की 0.025 है, 4 की 0.076 है, 5 की 0.038 है कुल 0.1390 है व प0 नं0 417/456 (73) के किला नं. 6/1 की 0.228 है, 6/2 की 0.025 है गै0 मु0 खाला, 10 की मिन उत्तर 0.1016 है, 11 की मिन उत्तर 0.1522 है, 12 ता 14 प्रत्येक की 0.253 है, 15/1 की 0.227 है, 15/2 की 0.026 है गै0 मु0 खाला, 16/1 की मिन पश्चिम 0.114 है, 16/2 की मिन पश्चिम 0.0125 है, 17 मिन पश्चिम की 0.1265 है, 18 की मिन पश्चिम 0.1265 है, 19 की मिन पश्चिम 0.1265 है 20 की मिन पश्चिम 0.0633 है कुल 2.2271 है भूमि का प्रतिवादी संख्या 3 को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 22.11.2021 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021 में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

  
 उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
 नोहर (हनुमानगढ़)  
 प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष- 2021  
 कैम्प कोर्ट....ललानबास दिखनादा